...ाम गोपाल लाल

आज्ञा विस्तृत रूप से

...ई हाजिर। वकील उभयपक्ष उप०
...ज 09 R 7 अर्जी ...
...प्रतिवादी की ... की तरफ
...धारा 15 के उक्त प्रकरण
...प्रार्थना पत्र कहाँ ...
...न मामलात में ... पक्ष
...तैयार किया जाकर
...प्रस्तुत ...
...प्रस्तुत ...
...प्रतिवादी ...
...प्रतिवादी ... में
...जात ...
...की दस्तावेज व प्रमाणित की
...किया गया
...प्रार्थी / प्रतिवादी की ओर
...के साथ ...
...प्रकरण में होने वाली
...सकते हैं पत्रावली
...रिपोर्ट हेतु दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

...वकील उभयपक्ष उप०
...रिपोर्ट हेतु दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

...उभयपक्ष उप०
...प्रार्थना पत्र बाबत
...कमिश्नर नियुक्त
...पत्रावली ...
...3/7/2024 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

फर्द अहकाम

छोटूराम बनाम गोपाललाल

क्रय 01/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० अतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मौका रिपोर्ट मंगवाने का पेश किया। शामिल मिसल हो। बहस प्रार्थना पत्र बाबत कुर्रेजात आपत्ति सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19/7/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
19/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० सुनी जा चुकी प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी प्रतिवादीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति कुर्रेजात खारिज किया जाता है। वाद वादी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट व विस्तृत निर्णय अन्तिम डिक्री किया जाता है। खारिज प्रमाण से लिखतवाना जारी कर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील रिकॉर्ड ... में ... दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:49:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 1/2022
निर्णय दिनांक : 19.07.2024

उनवान

1. छोटूराम पुत्र श्री मोहररूराम उम्र लगभग 95 वर्ष जाति माली निवासी 17 प्रेमपुरा, खातीपुरा रोड, झारखण्ड महादेव जयपुर, राजस्थान।

वादी

बनाम

1. गोपाललाल पुत्र श्रवणलाल जाति माली निवासी ग्राम भरतपुरा चौरू, तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान।
2. बाबूलाल गरेड पुत्र ओकारमल गरेड जाति जाट बडी का खेडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
3. रमेशचन्द चौधरी पुत्र झूंथाराम चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम घेघा, पटवार हल्का अवानिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।
4. रामकरण पुत्र श्रीयाराम जाति जाट निवासी बडी का खेडा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।
5. तहसीलदार, तहसील जिला जयपुर।
6. उप– तहसीलदार, उप तहसील बगरू जिला जयपुर।
7. उप पंजीयक, बगरू, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् तकासमा, स्थाई निषेधाज्ञा, सीमाज्ञान व पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 53, 188 काश्तकारी अधिनियम, 1956 एवं 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

वाद पत्र वाद पत्र बाबत् तकासमा, स्थाई निषेधाज्ञा, सीमाज्ञान व पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 53, 188 काश्तकारी अधिनियम, 1956 एवं 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। न्यायालय द्वारा वादीगण के वाद में दिनांक 13.04.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तहसील सांगानेर को निर्देशित किया गया कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम घेघा, पटवार हल्का अवानिया, भू० अ० नि० क्षे० बगरूकला, तह० सांगानेर जिला जयपुर में स्थित वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कृषि भूमि हाल खाता संख्या 51 खसरा नम्बर 477 रकबा 0.77 हैक्टेयर, खाता संख्या 54 खसरा नम्बर 478 रकबा 0.18 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 53 खसरा नम्बर 471 रकबा 0.91 हैक्टेयर के सम्बन्ध में तहसीलदार सांगानेर का निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बाई मिट्स एण्ड बाण्डस के आधार पर एवं मुताबिक राजस्व रिकार्ड कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन–तीन प्रतियों में इस न्यायालय को आगामी तारीख पेशी 25.05.2022 से पूर्व भिजवाया जावे। तहसीलदार सांगानेर को कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियों मे पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र कमाक भू0अ0/कुर्रेजात/2022/2430 दिनॉक 23.12.2022 के संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियो मे प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है।

वाद में उपस्थित अधिवक्तागण की बहस अंतिम कुर्रेजात रिपोर्ट पर सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया है।

हमने बहस उपस्थित अधिवक्तागण पर गौर किया तथा पत्रावली, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन करने पर वादी का वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:49:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिर्पोट मुताबिक वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाके ग्राम ग्राम घेघा, पटवार हल्का अवानिया, भू० अ० नि० क्षे० बगरूकला, तह० सांगानेर जिला जयपुर में स्थित वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कृषि भूमि हाल खाता संख्या 51 खसरा नम्बर 477 रकबा 0.77 हैक्टेयर, खाता संख्या 54 खसरा नम्बर 478 रकबा 0.18 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 53 खसरा नम्बर 471 रकबा 0.91 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिर्पोट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

प्रस्तावित कुरेजात इन्द्राज

क्र. सं.	किस्म	प्रस्तावित खातेदार	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकवा	लगान	रंग
1.	चाही 2 बारानी 2 चाही 2	छोटूराम पुत्र मोहरूराम हि0 पूर्ण जाति माली सा0 खातीपुरा रोड प्रेमपुरा जयपुर खातेदार	478 मि. 471 मि. 477 मि.	0.08 0.44 0.41		
		कुल किता	3	0.93		
2.	चाही 2 बारानी 2 चाही 2	गोपाल लाल पुत्र श्रवणलाल जाट हिस्सा 1/4 सा0 भरतपुरा चौरू, तहसील फागी, जिला जयपुर, वाबूलाल गरेड पुत्र औंकारमल गरेड हिस्सा 1/4 जाति जाट सा0 वडी का खेडा रमेश चन्द चौधरी पुत्र झंथाराम चौधरी हिस्सा 1/4 जाति जाट सा0 देह रामकरण पुत्र श्रीयाराम हि0 1/4 जाति जाट सा0 वडी का खेडी	478 मि. 471 मि. 477 मि.	0.10 0.47 0.36		
		कुल किता	3	0.93		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिर्पोट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिर्पोट व नक्शे की प्रति वाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 19.07.2024 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:49:20 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्म्त सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 1/2022
डिक्री जारी दिनांक : 19.07.2024

उनवान

1. छोटूराम पुत्र श्री मोहररूराम उम्र लगभग 95 वर्ष जाति माली निवासी 17 प्रेमपुरा, खातीपुरा रोड, झारखण्ड महादेव जयपुर, राजस्थान।

वादी

बनाम

1. गोपाललाल पुत्र श्रवणलाल जाति माली निवासी ग्राम भरतपुरा चौरू, तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान।
2. बाबूलाल गरेड पुत्र ओकारमल गरेड जाति जाट बडी का खेडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
3. रमेशचन्द चौधरी पुत्र झूंथाराम चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम घेघा, पटवार हल्का अवानिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।
4. रामकरण पुत्र श्रीयाराम जाति जाट निवासी बडी का खेडा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।
5. तहसीलदार, तहसील जिला जयपुर।
6. उप– तहसीलदार, उप तहसील बगरू जिला जयपुर।
7. उप पंजीयक, बगरू, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् तकासमा, स्थाई निषेधाज्ञा, सीमाज्ञान व पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 53, 188 काश्तकारी अधिनियम, 1956 एवं 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरीं वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाके ग्राम ग्राम घेघा, पटवार हल्का अवानिया, भू० अ० नि० क्षे० बगरूकला, तह० सांगानेर जिला जयपुर में स्थित वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कृषि भूमिं हाल खाता संख्या 51 खसरा नम्बर 477 रकबा 0.77 हैक्टेयर, खाता संख्या 54 खसरा नम्बर 478 रकबा 0.18 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 53 खसरा नम्बर 471 रकबा 0.91 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

प्रस्तावित कुरेंजात इन्द्राज

क्र. सं.	किस्म	प्रस्तावित खातेदार	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा	लगान	रंग
1.	चाही 2 बारानी 2 चाही 2	छोटूराम पुत्र मोहररूराम हि0 पूर्ण जाति माली सा0 खातीपुरा रोड प्रेमपुरा जयपुर खातेदार	478 मि. 471 मि. 477 मि.	0.08 0.44 0.41		
		कुल किता	3	0.93		
2.	चाही 2 बारानी 2 चाही 2	गोपाल लाल पुत्र [illegible] जाट हिस्सा 1/4 सा0 भरतपुरा चौरू, तहसील फागी, जिला जयपुर बाबूलाल गरेड पुत्र [illegible] हिस्सा 1/4 जाति जाट सा0 बडी का खेडा रमेश चन्द चौधरी पुत्र झंथाराम चौधरी	478 मि. [illegible] 477 मि.	0.10 0.47 0.36		

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:49:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

	हिस्सा 1/4 जाति जाट सा0 देह रामकरण पुत्र श्रीयाराम हि0 1/4 जाति जाट सा0 वडी का खेड़ी				
	कुल किता	3	0.93		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का नामा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद या जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19-07-2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ......

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा	1	00
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:49:20 IST
Reason: SelfAttested